15.38 hrs.

## COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

(i) MINUTES

SHRI KANWAR LAL GUP (Delhi Sadar): Sir, I beg to lay on the Table minutes of the sittings of the Committee on Papers Laid on the Table held on 6th October, 7th November and 29th December, 1977 and 9th May, 1978.

(ii) REPORT

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, I beg to present the Eighth Report of the Committee on Paper Laid on the Table.

---

## ASSENT TO BILL

SECRETARY: Sir, I lay on the Table the Appropriation (No. 3) Bill, 1978 passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 24th April, 1978.

---

15.40 hrs.

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### REPORTED DECISION OF THE EMPLOYEES OF NEWSPAPER ESTABLISHMENTS TO GO ON STRICKE

श्री अविराम अर्गल : (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उन से प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें—

"समाचार-पत्र संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल करने का कथित निर्णय ।"

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): As I told the House in reply to Question No. 7591 that I answered on 29th April, 1978, the National Confederation of Newspaper and News Agency Employees Organisations have sent us a copy of a Resolution adopted by a Convention of the newspaper employees that was held in Calcutta on the 28th March, 1978. The Resolution, among other things, authorised the Confederation "to chalk out a programme of agitation culminating in an indefinite strike".

Apart from this, we have received no reports of any specific decision by newspaper employees to go on strike to press their demands for wage revision. However, there was a token strike on the 11th May, 1978, by certain sections of newspaper employees in Delhi in response to a Call for general strike given by some political groups over various issues. The question of wage boards was referred to as one of the issues in the notices served by some of the Unions while one Union disassociated itself from the strike. This strike was only a token strike that lasted for a day.

As the House is aware, two separate wage Boards were constituted for non-journalists and working journalists, on the 11th June, 1975 and the 6th February, 1976, respectively. Government notified interim wage rates on the 1st April, 1977, after consulting the Wage Boards and the Boards had started public hearing on the question of the final wage structure.

In December, 1977 the representatives of the employers wrote to Government to say that they were withdrawing from the Wage Boards, as their Organisations desired them to do so. Consequent on their withdrawal the Wage Boards cancelled subsequent public hearings. Government is keen that the work of the Wage Boards should be resumed and completed expeditiously so that a revised wage structure comes into force in the newspaper establishments. To find a solution to the

problem created by the withdrawal and to resolve the impasse I have had a series of meetings with the representatives of newspaper employers and employees both separately and jointly. In these meetings various possibilities and alternatives have been considered. Efforts are continuing to end the impasse. I have every hope that a solution will be found soon.

**श्री छविनाथ पाण्डेय :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के बयान को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा और जब वे बयान दे रहे थे, तो मैंने उस को बड़े गौर से सुना। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर इस प्रकार से प्रस्तुत किया है जिस से ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री को सारे तथ्यों की पूरी जानकारी नहीं है। आपने बताया कि 11 मई, 1978 को एक सांकेतिक हड़ताल थी समाचारपत्रों के संस्थानों के कर्मचारियों की लेकिन मैं यह कहूंगा कि उस दिन समाचारपत्र संस्थानों के कर्मचारियों की हड़ताल सारे देश में थी जिस के कारण 12 मई, को किसी भी पत्र का प्रकाशन नहीं हुआ। क्या आप इस को सांकेतिक हड़ताल कहेंगे। सारे देश भर में टोटेली समाचारपत्रों के संस्थानों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे और केवल यही नहीं कि समाचारपत्र संस्थानों के कर्मचारी ही हड़ताल पर रहे हों बल्कि अन्य औद्योगिक संस्थानों, कारखानों, मिलों और बड़ी यूनियनों के कर्मचारियों ने भी उन की मांगों का समर्थन किया और देश भर में अधिकांश कारखाने और मिलें बन्द रहीं जिस से उत्पादन को भारी क्षति पहुंची है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समाचार पत्रों के मालिक समाचारपत्र संस्थानों के कर्मचारियों के जो 10, 12 साल पहले वेतन तय हुए थे, जो वेतन निर्धारित हुए थे, उन को भी लागू करने में सहयोग नहीं देते हैं। आप देखेंगे कि समाचारपत्रों के जो ये मालिक हैं, वे अपने विज्ञापनों की दरें तो बढ़ा लेते हैं लेकिन कर्मचारियों को उस हिसाब से पैसा नहीं देते हैं, उन की तन्ख्वाहों को वे नहीं बढ़ाते हैं, जिस से कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। आप देखेंगे कि बड़े बड़े समाचार पत्रों के जो मालिक हैं वे 20 हजार की सर्कुलेशन झूठी दिखा देते हैं और इस तरह से कागज के कोटे को हड़प लेते हैं जिस से जो छोटे समाचारपत्र हैं, उनको बड़ी कठिनाई होती है और उन को कागज का कोटा नहीं मिल पाता है। इस बात को भी मंत्री जी को देखना चाहिए।

एक बात की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि इस हड़ताल के समर्थन में कारखानों के बाहर कर्मचारियों ने नियोजित ढंग से रैलियों का आयोजन किया और इस में विभिन्न मिलों के कर्मचारियों ने साथ दिया और हड़ताल में उन लोगों ने यह मांग की कि सरकार वेतन मंडलों को पुनः सक्रिय करने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करे। इस के अतिरिक्त हड़ताल का उद्देश्य दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मजदूरों के प्रति एकता प्रदर्शित करना, दूध की कीमतों और बस किरायों में वृद्धि के विरुद्ध रोष प्रकट करना भी था। इस के लिए सरकार को मेमोरेन्डम भी दिए गए थे और लोक सभा के अध्यक्ष महोदय को भी एक ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन में यह कहा था कि जनता पार्टी के शासन में श्रमिकों के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया था कि मजदूरों के बुनियादी ट्रेड यूनियन अधिकार भी कुचले जा रहे हैं और प्रबन्धकों के पहरेदारों द्वारा मजदूरों पर हिंसात्मक हमले किए जा रहे हैं। जनता सरकार से मजदूरों को बड़ी उपेक्षा थी। बोनस का जो अध्यादेश था, जिससे बोनस को कांग्रेस सरकार दबाए बैठी थी, उसको खत्म कर के मजदूरों को जो बोनस जनता सरकार ने दिया है, उस से सारे मजदूर जगत में बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मजदूरों की एक ही मांग है कि जनता पार्टी की सरकार भूतलिंगम समिति को रद्द करे। कर्मचारियों ने यह कहा है कि समान काम के लिए समान वेतन, जीवननिर्वाह खर्च में बढ़ोतरी के बराबर महंगाई भत्ता देने और जरूरतों पर आधारित वेतन देने का समयबद्ध कार्यक्रम बनाने का सरकार आश्वासन दे। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इन बातों पर गंभीरता से विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों के करीब 6 हजार कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में प्रदर्शन भी किया था। इंदिरा गांधी के लोगों ने उसमें झगड़ा डाला और उपद्रव मचाया। यह बात मंत्री जी को मालूम होगी।

अध्यक्ष महोदय, मजदूरों पर दमन के कारण मजदूर जगत में बहुत असंतोष है। इस सम्बन्ध में उन्होंने हड़ताल की और हरियाणा, पंजाब, और अन्य जगह के कर्मचारियों ने योजनाबद्ध तरीके से समाचारपत्र तथा अन्य कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय, जो डेली बेजिज पर काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, जैसे पी० डब्ल्यू० डी०, पंचायतों, चाय बगानों आदि में काम करने वाले लोग हैं उनकी मजदूरी बहुत कम है। मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन डेली बेजिज पर काम करने वाले लोगों का दो, तीन या चार रुपये रोज में गुजारा नहीं होता है। इन मजदूरों के डेली बेजिज तुरन्त बढ़ाए जाएं जिससे मजदूरों के जीवन की रक्षा हो सके।

अब मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि दस वर्ष पूर्व समाचारपत्र संस्थानों में जो वेतन तय हुए थे, उनके लिए वेतन बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया और क्या यह बनाया जाएगा ?

(ख) क्या सरकार समाचारपत्र संस्थानों में एवं अन्य श्रमिक संस्थानों में श्रमिकों के रोजगार कल्याण के लिए व्यापक विधान बनायेगी ?

(ग) समाचार पत्रों के मालिक विज्ञापन की दरें बढ़ा लेते हैं परन्तु वे श्रमिकों का वेतन नहीं बढ़ाते हैं। क्या सरकार समाचार पत्र कर्मचारियों को सहूलियतें दिलाने हेतु समाचार पत्र मालिकों को बाध्य करेगी ?

(घ) समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में संशोधित मजदूरी ढांचा पूर्ण रूप से लागू हो, इस संबन्ध में श्रम मंत्री जी ने नियोजकों एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की समस्या का हल निकालने हेतु एक बैठक बुलाई थी और मंत्री जी ने कहा था कि उनकी समस्या का हल निकल आयेगा। वह हल कब तक निकलेगा, मंत्री जी यह बताने की भी कृपा करें ?

(ङ) मैं भूतलिंगम समिति रद्द करने की मांग करता हूं और सरकार से पूछता हूं कि क्या सरकार कर्मचारियों को समान वेतन, जीवन निर्वाह खर्च में बढ़ोतरी के बराबर महंगाई भत्ता और जरूरतों पर आधारित वेतन देने का समयबद्ध कार्यक्रम अपनाएगी ?

SHRI RAVINDRA VARMA: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I was pleasantly surprised that the question ended.

श्री छविराम अर्गल: मंत्री महोदय हिन्दी में उत्तर दें तो अच्छा है।

श्री रवीन्द्र वर्मा: हिन्दी में भी अनुवाद हो रहा है जिसे आप सुन सकते हैं। मैं अंग्रेजी में जवाब दूंगा।

I was pleasantly surprised that the question ended. The hon. Member chose to say that I had distorted facts in my answer. I am not guilty, Sir, and I cannot plead guilty to the charge of having distorted facts. I plead guilty to the charge, if he wants to make one of having been relevant to the Call Attention notice.

The hon. Member raised many questions which ranged the entire canvas of industrial relations in this country. In my answer, I tried to point out that as far as the question of the wage boards is concerned, the Government is attempting to find a solution, a way out of the present impasse, through bipartite and tripartite negotiations. I tried to point out that various alternative suggestions are being considered by both the parties, and the Government, and I have every hope of finding a solution to the present impasse.

The hon. Member said that the strike was an all-India strike, and no newspaper appeared anywhere in the country. As an hon. Member of Parliament, he must be aware of the fact that though the capital of the country is very important, the country extends outside the capital too. It is a fact that no newspaper appeared in Delhi on the 12th May because of the strike on the 11th May, but in other parts of the country, newspapers did appear and I am sure, the hon. Member might have, if he had tried to take the trouble, seen those newspapers.

He made references to such things as a wage freeze, the Bhoothalingam Committee, daily wages, minimum wages, social security and all the chapter headings in the Labour Ministry's report. If you rule that they are relevant to the Call Attention notice, I will answer them....

MR. DEPUTY-SPEAKER: You confine only to the Call Attention.

SHRI RAVINDRA VARMA: Then, I will repeat what I have said that we hope to find a solution through bipartite and tripartite negotiations.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bahuguna.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, today is the last day....

MR. DEPUTY-SPEAKER: That does not mean that it is free for all.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Shri George Fernandes made an observation about Bata Shoe Company....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bahuguna has the floor now.